सं. एन-38012/1/2014-एफएम
भारत सरकार
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
(एफएम सैल)

शास्त्री भवन, नई दिल्ली
दिनांक : 15 जुलाई, 2014

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषय: एचपीटी, आकाशवाणी, किंग्सवे कैंप, दिल्ली में अवस्थित सी.टी.आई. एफएम टावर के दिनांक 30 मई, 2014 को ध्वस्त होने के कारणों का पता लगाने तथा उसकी जांच-पड़ताल करने हेतु जांच समिति का गठन।

एचपीटी, आकाशवाणी, किंग्सवे कैंप, दिल्ली में बनाया गया 149 मीटर ऊंचा सी.टी.आई. एफएम टावर दिनांक 30 मई, 2014 की शाम आए तूफान के कारण ध्वस्त हो गया। उक्त टावर का निर्माण भारत सरकार द्वारा मुहैया कराई गई निधियों में से मैसर्स बेसिल द्वारा किया गया था तथा उसका प्रयोग चरण-II की स्कीम के पांच प्राइवेट एफएम प्रसारकों द्वारा एफएम प्रसारण के उद्देश्य से किया जा रहा था। यह भी जानकारी में लाया गया है कि इस टावर पर लगाए गए ऐंटिना एवं फीडर केबल को भी इस घटना में क्षति पहुंची है तथा परिणामस्वरूप इस टावर से संचालन कर रहे पांच प्राइवेट एफएम प्रसारकों की सेवाएं अत्यधिक बाधित हुई हैं।

2. इस मंत्रालय के सक्षम प्राधिकारी ने इस टावर के ध्वस्त होने के कारणों का पता लगाने तथा उसकी जांच-पड़ताल करने के लिए एक समिति गठित करने का निर्णय लिया है। समिति का संघटन निम्नानुसार है:-

क) श्री मुकुल त्यागी, सेवानिवृत्त, मुख्य अभियंता, आकाशवाणी
ख) श्री ए.के.एम. त्रिपाठी, पूर्व मुख्य प्रबंधक, टीएसएल, इलाहाबाद (सार्वजनिक क्षेत्र के पूर्व सरकारी उपक्रम)
ग) श्री पी.दास, निदेशक (ई) एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रसार भारती के ओएसडी (टी)
घ) श्री बाल किशन, निदेशक (रेडियो), दूरभाष अभियांत्रिकी केंद्र

3. समिति के विचारार्थ विषय/उसके कार्यकलाप निम्नानुसार होंगे:-

क) सी.टी.आई. टावर के ध्वस्त होने से संबंधित सभी पहलुओं जैसे स्थल, ढांचे का चयन, टावर संबंधी विशिष्टताओं, टेंडर प्रदान करना, टावर खड़ा करना, उसका निरीक्षण करना, नियत समय पर उसका रख-रखाव करना तथा 30 मई, 2014 को आए तूफान का पता लगाना तथा उसकी जांच-पड़ताल करना।

ख) सरकार से अनुमोदित/मान्यता-प्राप्त किसी भी परीक्षण प्रयोगशाला से टावर संबंधी सामग्री के नमूने की जांच से संबंधित आकस्मिक व्यय सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

ग) ऐसा कोई भी अन्य पहलू जो समिति द्वारा उपयुक्त समझा जाए तथा जिसका यहां उल्लेख न किया गया हो, की भी इस मंत्रालय के अनुमोदन से जांच की जा सकती है।

..जारी..

4. समिति अपनी रिपोर्ट सचिव, सूचना और प्रसारण को 15 दिन की अवधि के भीतर प्रस्तुत करेगी।

5. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(सी.एस. कौशिक)
निदेशक (एफएम)
दूरभाष: 23384933

प्रतिलिपि:

1. श्री मुकुल त्यागी, सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता, आकाशवाणी, निवासी - 203डी, पॉकेट-1, मयूर विहार फेज-1, नई दिल्ली-110091 (mukultyagi52@gmail.com)
2. श्री ए.के.एम. त्रिपाठी, पूर्व मुख्य प्रबंधक, टीएसएल, इलाहाबाद (पूर्व सरकारी लोक सेवा उपक्रम), निवासी – 36, पूसा रोड एनेक्स, द्वितीय तल, पिछला भाग, नई दिल्ली-110005 (akm.manitech@gmail.com)
3. श्री पी. दास, निदेशक (ई) एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रसार भारती के ओएसडी (टी), द्वितीय तल, पीटीआई भवन, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001
4. श्री बाल किशन, निदेशक (रेडियो), 161, प्रथम तल, रेडियो लैब, दूरभाष अभियांत्रिकी केंद्र (टीईसी), खुर्शीद लाल भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001
5. मुख्य महा प्रबंधक, बेसिल को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया समिति द्वारा यथा अपेक्षित सभी संबंधित दस्तावेज/रिकॉर्ड मुहैया कराएं।
6. निदेशक (ई), एचपीटी, आकाशवाणी, किंग्सवे कैम्प, दिल्ली-110009

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित:-

1. माननीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के निजी सचिव
2. सचिव (सूचना और प्रसारण) के वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव
3. अपर सचिव (सूचना और प्रसारण) के प्रमुख निजी सचिव
4. अपर सचिव, दूरसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रमुख निजी सचिव
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रसार भारती, द्वितीय तल, पीटीआई भवन, नई दिल्ली के वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव
6. संयुक्त सचिव (प्रसारण-II) के प्रमुख निजी सचिव